प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या – 579 / 2003

याचिकाकर्ता : आर.एन. सिंह

बनाम

प्रतिवादी गण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

2 मई, 2006 को आदेश हेतु सूचीबद्ध किया जाए

हस्ताक्षरित/–

सतीश क. अग्निहोत्री,

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या – 579 / 2003

याचिकाकर्ता : आर.एन. सिंह

बनाम

प्रतिवादी गण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री **सतीश क. अग्निहोत्री**.

श्री प्रफुल्ल भारत, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता श्रीमती अंजू आहूजा, उत्तरवादी का क्रमांक 1 और 2 के अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण क्रमांक 3 और 4 के लिए कोई नहीं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आदेश

(2 मई, 2006)

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर की गई वर्तमान रिट याचिका में दिनांक 8.10.1996 (अनुलग्नक पी/1) के कारण बताओ नोटिस को चुनौती देती है और इसके अलावा याचिकाकर्ता उत्तरवादीगण के खिलाफ़ परमादेश की रिट चाहता है कि वह याचिकाकर्ता के कनिष्ठों की पदोन्नति की तिथि से वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति देने के लिए उसके मामले पर विचार करे, साथ ही वरिष्ठता, बकाया वेतन आदि जैसे परिणामी लाभों के साथ–साथ 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी दे। यह याचिका 6.2.2003 को दायर की गई थी।

2. संक्षेप में स्वीकृत तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को 21.1.1972 के आदेश द्वारा बिक्री–कर निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1976 में उनके खिलाफ कतिपय कदाचार के कृत्यों पर विभागीय जांच शुरू की गई थी। 06.06.80 को अनुशासनिक प्राधिकारी ने संचयी प्रभाव से चार वेतन वृद्धि रोकने का आदेश पारित किया।

3. याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के समक्ष अपील दायर की जो अपीलीय प्राधिकारी है। राज्य सरकार ने अपील को स्वीकार कर लिया, जुर्माना रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को केवल चेतावनी दी।

4. 23.10.80 को (अनुलग्नक पी/4) याचिकाकर्ता के खिलाफ कदाचार के विभिन्न आरोपों पर दूसरी विभागीय जांच शुरू की गई। 22.12.86 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने का आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के समक्ष अपील दायर की। 23.6.87 को राज्य सरकार ने अपील स्वीकार कर ली, हटाने के आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को बहाल करने का निर्देश दिया (अनुलग्नक पी/5)। याचिकाकर्ता ने अपनी बहाली के बाद अपने कर्तव्यों को संभाल लिया और बिक्री कर आयुक्त ने 09.07.87 के आदेश द्वारा सेवा को नियमित कर दिया (अनुलग्नक पी/6)।

5. इसके बाद बिक्री कर आयुक्त ने 30 दिसंबर 1987 को प्रमुख सचिव, पृथक राजस्व विभाग को राज्य सरकार के आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए पत्र लिखा। 29.8.89 (अनुलग्नक पी/12) को राज्य सरकार ने पूर्व में पारित आदेश का पुनर्विलोकन करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दीर्घ शास्ति अधिरोपित किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ता ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दंड अधिरोपित करने वाले पुनरीक्षण आदेश को मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण, पीठ जबलपुर के समक्ष ओ.ए. संख्या 2514/1989 में चुनौती दी। विद्वान प्रशासनिक अधिकरण ने मामले पर गुण–दोष के आधार पर विचार करने के बाद निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया:–

> "पुनर्विलोकन करने वाले अनुशासनिक प्राधिकारी ने वास्तव में अपीलीय प्राधिकारी यानी राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन किया और उसे पलट दिया तथा उसके बाद एक दीर्घ शास्ति अधिरोपित किया, जबकि अपीलीय प्राधिकारी ने आवेदक को विमुक्त कर दिया था। यह अपीलीय प्राधिकारी का आदेश है जिसकी राज्य सरकार द्वारा पुनर्विलोकन किया गया है।"

और 14.8.1990 (अनुलग्नक पी/13) को समीक्षा में पारित दिनांक 29.8.1989 (अनुलग्नक पी/12) के आदेश को रद्द कर दिया।

7. 6 वर्ष की अवधि के बाद, उत्तरवादी क्रमांक 3/मध्य प्रदेश राज्य ने 8.10.1996 को इस आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया कि समीक्षा में पारित दिनांक 29.8.1989 के आदेश को मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने इस आधार पर अभिखंडित कर दिया था कि याचिकाकर्ता को 29.8.1989 के समीक्षा आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था।

8. याचिकाकर्ता ने दिनांक 8.10.1996 (अनुलग्नक पी/1) के उक्त कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए यह याचिका कई आधारों पर दायर की है, अन्य बातों के साथ–साथ कि उत्तरवादी संख्या 3/मध्य प्रदेश राज्य पुराने अभियोग पत्र दिनांक 27.12.1976 (अनुलग्नक पी/2) और दिनांक 23.10.1980 (अनुलग्नक पी/4) के आधार पर नई जांच संस्थित करने के लिए सक्षम नहीं था, जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी के साथ–साथ पुनर्विलोकन में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण द्वारा अभिखंडित कर दिया गया था, जो अंतिम हो गया है और मामला फिर से नहीं खोला जा सकता है और आगे यह कि अपील में पारित पहला आदेश दिनांक 23.6.1987 (अनुलग्नक पी/5) का केवल एक बार पुनर्विलोकन किया जा सकता है, एवं पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 4.5.1988 (अनुलग्नक पी/10) के द्वारा पुनर्विलोकन को खारिज कर दिया गया।

9. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भरत ने याचिका में ऊपर बताए अनुसार अपनी दलीलें पेश कीं। विद्वान अधिवक्ता ने कारण बताओ नोटिस को नियमों और प्रावधानों के विपरीत बताते हुए उसे अभिखंडित करने की प्रार्थना की और इसके परिणामिक लाभ प्रदान करने की भी प्रार्थना की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्रीमती अंजू आहूजा ने निवेदन किया कि छत्तीसगढ़ राज्य 1.11.2000 को अस्तित्व में आया और कारण बताओ नोटिस पुराने मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन से पहले जारी किया गया था और इस प्रकार उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 याचिका के प्रक्कथनों एवं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा निवेदनों का जवाब देने के लिए सक्षम नहीं हैं।

11. इस याचिका में, 01.04.2003 को मध्य प्रदेश राज्य और आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर (म.प्र.) सहित सभी उत्तरवादीगण को नोटिस जारी किया गया था। पंजीकृत ए.डी. द्वारा विधिवत नोटिस तामील किए गए थे। तामील के बावजूद, उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4, यानी वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य और आयुक्त, मध्य प्रदेश राज्य, वाणिज्यिक कर, इंदौर, इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और इस प्रकार उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 की ओर से न तो कोई जवाब दाखिल किया गया और न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ।

12. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् और दायर याचिका में संलग्न अभिलेखों का और उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 द्वारा जवाब दावे का अवलोकन किया गया।

13. यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि मध्य प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने राज्यपाल के नाम और उनकी ओर से मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पारित पुनर्विलोकन आदेश दिनांक

29.8.1989 को अभिखंडित करते हुए उत्तरवादीगण को नई जांच संस्थित करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी। याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने के अनुशासनात्मक प्राधिकारी के दिनांक 22.12.1986 के आदेश को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा राज्यपाल के नाम और उनकी ओर से पारित अपील में दिनांक 23.6.1987 (अनुलग्नक पी/5) के आदेश द्वारा अपास्त कर दिया गया। इसके बाद विभाग द्वारा समीक्षा के लिए की गई प्रार्थना को भी दिनांक 4.5.1988 (अनुलग्नक पी/10) को खारिज कर दिया गया। दूसरी समीक्षा में पारित दिनांक 29.8.1989 के आदेश को संशोधित किया गया और अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दीर्घ शास्ति अधिरोपित की गई। विद्वान प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 14.8.1990 (अनुलग्नक पी/13) द्वारा 29.8.1989 के आदेश को अभिखंडित कर दिया, तथा याचिकाकर्ता को नये सिरे से विभागीय जांच संस्थित करने या नया कारण बताओ नोटिस जारी करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी।

14. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 29 में किसी भी पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने से पहले अभ्यावेदन करने का उचित अवसर देने का प्रावधान है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है। वैसे भी, जब राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने 29.8.1989 के आक्षेपित आदेश पर विचार किया और उसे अभिखंडित कर दिया, तो उत्तरवादीगण के पास राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा 14.8.1990 को पारित आदेश (अनुलग्नक पी/13) के विपरीत, नई विभागीय जांच संस्थित करने का कोई अधिकार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. **एस्कॉर्ट्स फार्म्स लिमिटेड बनाम कमिश्नर, कुमाऊं डिवीजन, नैनीताल और अन्य**[1] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:–

> " प्रांग न्याय (रेस जुडिकाटा) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अनुसार सिविल कार्यवाही में उपलब्ध एक दलील है। यह एक सिद्धांत है जिसका उपयोग मूल या अपीलीय कार्यवाही में 'वाद' को अंतिम रूप देने के लिए किया जाता है। सिद्धांत का सार यह है कि किसी मुद्दे या बिंदु पर निर्णय लिया जाना और अंतिम रूप प्राप्त करना, उसे फिर से खोलने और दो बार फिर से उत्तेजित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रेस का शाब्दिक अर्थ है 'सब कुछ जो अधिकारों का उद्देश्य बन सकता है और इसमें कोई वस्तु, विषय–वस्तु या स्थिति शामिल है' और रेस जुडिकाटा का शाब्दिक अर्थ है 'न्यायिक रूप से किया गया मामला; न्यायिक रूप से कार्रवाई की गई या तय की गई बात; निर्णय द्वारा तय की गई बात या मामला।' सीपीसी की धारा 11 इस सिद्धांत को इस उद्देश्य से जोड़ती है कि 'सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर दिया गया

[1] एआईआर 2004 सुप्रीमकोर्ट 2186

अंतिम निर्णय पक्षों और उनके निजी अधिकारों के लिए निर्णायक होता है, और उनके लिए, उसी दावे, मांग या कार्रवाई के कारण से संबंधित किसी वाद कारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।'

16. एक ही वाद–कारण से संबंधित पक्षों के बीच अंतिम रूप से निर्णयित या समायोजित मामले को न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष पुनः नहीं उठाया जा सकता है तथा यह प्रांग न्याय (रेस– जुडिकाटा) के सिद्धांत द्वारा वर्जित है।

17. ऊपर बताए गए कारणों से, दिनांक 8.10.1996 का आक्षेपित कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक पी/1) अक्षम और असंवैधानिक होने के कारण अभिखंडित किए जाने योग्य है और तदनुसार अभिखंडित किया जाता है। याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा पारित दिनांक 23.6.1987 (अनुलग्नक पी/5) के आदेश के अनुसार वरिष्ठता को शामिल करते हुए, पदोन्नति के फलस्वरूप मिलने वाले वेतन में अंतर यदि कोई हो, सहित परिणामी लाभों का हकदार है।

18. तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है। वादव्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/–
सतीश क. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By – Amiya Bhushan